पत्रांक– बाढ़ नि0 रूपां0 प्र0–01–तक0(अना0)–7 / 2026–

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता–5, मुजफ्फरपुर,
ग्रामीण कार्य विभाग
(E-mail-ce.5rwdmuz@gmail.com)

पटना, दिनांक–

विषयः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन जल निस्सरण, प्रमंडल मोतिहारी के अधीन लालबेकिया दाँया तटबंध पर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा एम0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत 2.00 कि०मी० (एन०एच० 227F) से 08.00 कि०मी० (मधुछपरा) तक कुल 6.00 कि०मी० में पथ निर्माण का कार्य हेतु प्रथम चरण अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निमित्त सैद्धान्तिक सहमति निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पत्र के क्रम में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन जल निस्सरण प्रमंडल, मोतिहारी के अधीन लालबेकिया दाँया तटबंध पर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा एम0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत 2.00 कि०मी० (एन०एच० 227F) से 08.00 कि०मी० (मधुछपरा) तक कुल 6.00 कि०मी० में पथ निर्माण का कार्य हेतु प्रथम चरण अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निमित्त सैद्धान्तिक सहमति निम्न जलीय आँकड़ों एवं शर्तों के साथ दी जाती हैः–

जलीय आँकड़ेः–

1	Design Discharge	55000 Cumec
2	H.F.L	73.29 m
3	Free Board	1.50m

शर्तें :–

1. ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिकरहना, ढ़ाका द्वारा लालबेकिया दाँया तटबंध पर एम0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत 2.00 कि०मी० (एन०एच० 227F) से 08.00 कि०मी० (मधुछपरा) तक कुल 6.00 कि०मी० में पथ निर्माण का कार्य ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा स्थापित / निर्धारित विशिष्टि एवं मानकों के अनुरुप कराना होगा।
2. पथ निर्माण कार्य के समर्पित प्रस्ताव में प्रावधानित Flexible Pavement एवं Rigid Pavement को प्रावधानित Section के अनुरुप सम्पादित किये जाने का दायित्व ग्रामीण कार्य विभाग का होगा परन्तु Earthen Shoulder के स्थान पर GSB Shoulder पथ की सुरक्षा एवं उपयोगिता के दृष्टिगत प्रावधानित किया जाना होगा।

3. प्रस्तावित पथ का Finished Level किसी भी परिस्थिति में HFL एवं Free Board के योग से कम नहीं रखने का दायित्व ग्रामीण कार्य विभाग का होगा।

4. प्रस्तावित पथ का निर्माण अतिक्रमण मुक्त कराते हुए किया जाय एवं तटबंध का River Side Slope 2:1 एवं Country Side Slope 3:1 में Properly Maintain किये जाने का दायित्व ग्रामीण कार्य विभाग का होगा।

5. लालबेकिया दाँया तटबंध में प्रस्तावित कार्य के दौरान आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के देख–रेख में उनके द्वारा बताये गये लम्बाई में कराना होगा।

6. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल पर बचे हुये किसी प्रकार के अवशेष निर्माण सामग्री/खुदाई के क्रम में Excavated/Waste Materials को पूर्ण रूप से हटाना होगा।

7. लालबेकिया नदी के चाट भूमि या नदी के किसी भी भाग से As Per IS Code 11532:1995 के अनुसार बाँध के किसी भी Toe से 25 मीटर की दूरी तक मिट्टी नहीं काटा जायेगा एवं लालबेकिया नदी के बेड लेवल को किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं किया जायेगा।

8. प्रस्तावित पथ के निर्माण में यदि भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है तो तत्संबंधी कार्य एवं व्यय का वहन ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाएगा।

9. प्रस्तावित पथ पर भारी वाहनों का परिचालन रोकने हेतु Height Barrier एवं Danger Post लगाया जाय एवं प्रस्तावित पथ पर आवश्यकतानुसार Crash Barrier लगाया जाएगा।

10. प्रस्तावित पथ निर्माण के दौरान जल संसाधन विभाग की किसी भी परिसम्पत्ति की क्षति होने पर विभागीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार ग्रामीण कार्य विभाग स्वयं के व्यय पर आवश्यक कार्य कराना सुनिश्चित करेगा।

11. प्रस्तावित पथ में किसी प्रकार के संरचना को पथ की महत्ता के दृष्टिगत समुचित Load का आंकलन कर पुनर्निमित/मरम्मत किये जाने की जिम्मेवारी ग्रामीण कार्य विभाग की होगी।

12. प्रस्तावित पथ के भविष्य में वाहन परिचालन के दबाब में वृद्धि होने के दृष्टिगत प्रस्तावित Section में Indian Road Congress के सुसंगत प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुर्नावलोकन किया जाएगा।

13. प्रस्तावित पथ निर्माण के दौरान वैसी अनदेखी परिस्थितियाँ, जो वर्तमान में परिलक्षित नहीं हो रही हैं या आवश्यक प्रतीत नहीं हो रहे है, उन्हें कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत होने पर उक्त कार्य को जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिए निर्देशों को कार्यहित में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराना होगा।

14. कार्यस्थल के आवश्यक स्थलों पर Danger Post लगाना होगा, जिससे की आमजनों इत्यादि का इस ओर ध्यान आकृष्ट हो सके।

15. कार्य के दौरान नदी के धारा/जलप्रवाह को किसी भी परिस्थिति में अवरूद्ध नहीं करना होगा ताकि जलप्लावन (Water logging) की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

16. पथ निर्माण के पश्चात् पथ की मरम्मति एवं संपोषण का कार्य एवं व्यय का वहन ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाएगा।

17. तटबंध की सम्पूर्ण लम्बाई में तटबंध के दोनों तरफ (River side एवं Country side) जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित Protection work, कटाव निरोधक कार्य एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराने हेतु जल संसाधन विभाग स्वतंत्र रहेगा।

18. पथ निर्माण निमित्त नदी के सेवापथ में Continuity हेतु नदी के दोनों तरफ आवश्यक कार्य यथा डायभर्सन सड़क, Ramp and Extra widening आदि का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग को स्वयं के व्यय पर करना होगा।

19. पथ निर्माण में किसी प्रकार की दुर्घटना/अनदेखी की पूरी जवाबदेही ग्रामीण कार्य विभाग की होगी।

20. प्रथम चरण के अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति में दिये गये शर्तों को समाहित करते हुए द्वितीय चरण के अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम तकनीकी प्राधिकार से संरचना का रूपांकण एवं आलेख्य अनुमोदित कराकर संबंधित अभिलेख सहित अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का प्रस्ताव मुख्य अभिंयता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना को उपलब्ध कराना होगा।

21. द्वितीय चरण अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के प्रस्ताव के साथ यह प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा की "प्रस्तावित संरचना का रूपांकण एवं आलेख्य संबंधी अभिलेख सक्षम तकनीकी प्राधिकार से अनुमोदित है"।

22. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग के स्वामित्व वाले पथांश का स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा अर्थात् जल संसाधन विभाग का स्वामित्व यथावत् बना रहेगा।

23. कार्य कराते वक्त जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिए गए निदेशो का अनुपालन करना होगा।

24. यह प्रथम चरण अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति पत्र सिर्फ जल संसाधन विभाग की तरफ से है एवं अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र अलग से प्राप्त करना होगा।

25. कार्य के दौरान नदी/तटबंध पर उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की जिम्मेवारी ग्रामीण कार्य विभाग का होगा।

26. कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की सूचना जल संसाधन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को ससमय देना होगा।

27. किसी भी प्रकार के Dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

28. बिहार सरकार जल संसाधन विभाग का आदेश सह ज्ञापांक–यो०मो०–4(विविध) 07–372/2020 पार्ट–II–143/पटना दिनांक–06.03.2025 द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत तटबंधित नदियों के लिए लागू किए गये Flood Plain Zoning के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

29. विभागीय पत्रांक–608 दिनांक–05.08.2024 की कंडिका–7 एवं 8 का अनुपालन अनिवार्य होगा।

30. उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन नहीं करने पर प्रथम चरण अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निमित्त सैद्धान्तिक सहमति रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
(ब्रजेश मोहन),
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

पत्रांक– बाढ़ नि0 रूपां0 प्र0–01–तक0(अना0)–7/2026– पटना, दिनांक :

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र में दिये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

पत्रांक– बाढ़ नि0 रूपां0 प्र0–01–तक0(अना0)–7/2026–296 पटना, दिनांक : 02/11/26

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/10/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।